अंतरण गारंटी

>> अंतरण गारंटी क्या है ?

जब भारत स्थित कोई बैंक विदेशी साख पत्र की पुष्टि करता है, तब वह साख पत्र के हिताधिकारी द्वारा आहरित ड्राफ्टों को उस पर अवलंबित हुए बिना स्वीकारने के लिए अपने आपको बाध्य कर लेता है, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट निश्चित रूप से साख पत्र की शर्तों के अनुसार आहरित किए गए हों । यदि विदेशी बैंक, पुष्टि करनेवाले बैंक को, निर्यातक को अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने में चूक जाए तो पुष्टि करनेवाले बैंक को हानि होगी । यह स्थिति साख पत्र खोलनेवाले बैंक के दिवालियापन या चूक या युद्ध, अंतरण में विलंब, अधिस्थगन जैसे कुछ ऐसे राजनीतिक जोखिमों के कारण उत्पन्न हो सकती है, जिनसे भारत स्थित बैंक को निधियों का अंतरण किए जाने में विलंब हो सकता है या बाधा पड़ सकती है । अंतरण गारंटी का उद्देश्य भारत स्थित बैंकों को ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होनेवाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करना है ।

>> अंतरण गारंटी की मुख्य बातें क्या है ?

अंतरण गारंटी द्वारा बैंक को वैकल्पिक तौर पर या तो केवल राजनीतिक जोखिमों से या राजनीतिक व वाणिज्यिक जोखिमों से रक्षा प्रदान करता है । राजनीतिक जोखिमों से होनेवाली हानि के ९०% तक और वाणिज्यिक जोखिमों से होनेवाली हानि के ७५% तक रक्षा प्रदान की जाती है ।

>> लागू प्रीमियम दर क्या हैं ?

प्रीमियम दरें, निर्यात का देश व साख पत्र की अवधि पर आधारित होंगी । किसी सौदे के लिए लागू प्रीमियम दरों के विषय में अधिक जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें ।

योजना पर किसी और स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।